भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
17 JAN 2012
गाजीपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 476191

दस्तावेज

एस0एस0 ग्रुप ऑफ सोशल वर्क ट्रस्ट (न्यास)
महुआबाग, गाजीपुर

1– (a) <u>ट्रस्ट का नाम व पता :–</u> एस0एस0 ग्रुप ऑफ सोशल वर्क ट्रस्ट (न्यास), मकान नं0–56 मुहम्मदपट्टी महुआबाग, गाजीपुर (उ0प्र0)

<u>नोट :–</u> आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्यालय को अन्य उचित स्थान पर समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(b) <u>कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत</u>

2– ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य :– ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायें खोलने के साथ–साथ निम्नांकित उद्देश्यों जैसे :–

(a) विद्यार्थियों में उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उनमें स्वावलम्बन, राष्ट्र भक्ति एवं विश्व बन्धुत्व की भावना जागृत करना।

(b) विद्यार्थियों में चारित्रिक, मानसिक तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना।

(c) प्राईमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, विधि कालेज, गर्ल्स कालेज आदि शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना। तथा उनका संचालन करना।

(d) टेक्निकल तथा अन्य प्रकार की संस्थायें खोलना।

स्टाम्प विक्रेता (सन्त कुमार गुप्ता)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 476182

परिवहन कोषाधिकारी 17 JAN 2012 गाजीपुर

(2)

(e) प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना करना।

(f) पुस्तकालय व वाचनालय स्थापित करना।

(g) विभिन्न खेल के प्रति विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना।

(h) ट्रस्ट भूमि, भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश–प्रदेश के किसी भी स्थान पर उपरोक्त उद्देश्यों में वर्णित संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्बल, मध्यम व दलितों को आत्मनिर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा।

(i) ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का समय साधन से आवश्यकतानुसार सहायता करेगा।

(j) सरकारी, अर्ध सरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी करेगा।

(k) किसी निजी भूमि को क्रय–विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना।

(l) संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी. 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करना।

(m) सरकार द्वारा चलायी जाने वाली परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित लोगों को लाभवान्तवित करना।

स्टाम्प विक्रेता (सन्त कुमार गुप्ता) लाइसेंस नं० ... विकास भवन, गाजीपुर

यास पत्र

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
5,000.00	100.00	60	160.00	3,000

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
पुत्र श्री रवि प्रताप सिंह
व्यवसाय अन्य
निवासी स्थायी मकान नं.- 59 मुहम्मदपट्टी, महुआबाग शहर गाजीपुर
अस्थायी पता 0
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 4/2/2012 समय 4:06PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के.पी. सिंह
उप निबन्धक सदर
गाजीपुर
4/2/2012

नन्दलाल
नि0लि0

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
पुत्र श्री रवि प्रताप सिंह
पेशा अन्य
निवासी मकान नं.- 59 मुहम्मदपट्टी, महुआबाग
शहर गाजीपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री **देवान्शु देव**
पुत्र श्री **रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव**
पेशा **अन्य**
निवासी **लालदरवाजा शहर गाजीपुर**
व श्री **बृजबहादुर सिंह**
पुत्र श्री **डी.बृजभानु सिंह बघेल**
पेशा **अन्य**
निवासी **मडही परगना पचातर जिला गाजीपुर**
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के.पी. सिंह
उप निबन्धक सदर
गाजीपुर
4/2/2012

नन्दलाल
नि0लि0

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 476183

17 JAN 2012

(3)

3– ~~ट्रस्ट~~ की निजी प्रतिबद्धता :–

एस0एस0 ग्रुप ऑफ सोशल वर्क ट्रस्ट (न्यास) महुआबाग, गाजीपुर पंजीकृत अधिनियम–29, 1990 के अधीन भारतीय न्यास अधिनियम–1982 के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है। इस न्यास पर भारतीय न्यास अधिनियम–1882 के समस्त धारायें / नियम / उपनियम लागू होंगे जो इस न्यास के संचालित हेतु आवश्यक है जो न्यायिक विभाग में व्यवहृत व मान्य है। यह न्यास उक्त नियमों के अनुपालन में प्रतिबद्ध है।

यह ट्रस्ट जनहित की भावना से वगैर लाभ के उद्देश्य से (Non For Profit) कार्य करेगी।

यह ट्रस्ट अधिनियम–29, 1990 के नियम, उपनियमों के अनुसार (Non For Profit) कार्य करेगी।

---

2. 3330

9-01 3—2—92 1. 32226

(सन्तु कुमार गुप्ता) न्यासी

Registration No.: 8 Year : 2,012 Book No. : 4

0101 शैलेन्द्र कुमार सिंह

रवि प्रताप सिंह

मकान नं.- 59 मुहम्मदपट्टी, महुआबाग शहर गाजीपुर

अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 476184

वरिष्ठ कोषाधिकारी 17 JAN 2012 गाजीपुर

4– ट्रस्ट न्यास का स्वरूप :–

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	पूरा पता	पद	पेशा
(a).	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	श्री रवि प्रताप सिंह	म0नं0–59 मुहम्मदपट्टी महुआबाग, गाजीपुर	मुख्य संरक्षक (ट्रस्टी)	समाजसेवक
(b)	श्री अविनाश राय	श्री रमेश चन्द्र राय	नि0 मालगोदाम रोड जिला–गाजीपुर	सदस्य (ट्रस्टी)	समाजसेवक
(c)	श्री मोहित श्रीवास्तव	श्री डॉ0 शिव प्रकाश श्रीवास्तव	नि0 तिलकनगर कालोनी महुआबाग गाजीपुर।	सदस्य (ट्रस्टी)	समाजसेवक समाजसेवक
(d)	श्री आशीष राय	स्व0 विजयशंकर राय	नि0 बड़ीबाग लंका गाजीपुर म0नं0–43पी		
(e)	श्री अनिल कुमार सिंह	श्री लल्लन सिंह	नि0 म0नं0–151 कपूरपुर शहरी गाजीपुर।	सदस्य (ट्रस्टी)	समाजसेवक
(f)	श्री रवि प्रताप सिह	स्व0 देवनाथ सिंह	ग्राम–परसनी सैदपुर गाजीपुर।	सदस्य (ट्रस्टी)	समाजसेवक
(g)	श्री अनिल कुमार सिंह	स्व0 देवनाथ सिंह	ग्राम–परसनी सैदपुर गाजीपुर।	सदस्य (ट्रस्टी)	समाजसेवक

5. पद अधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

(A) **मुख्य संरक्षक ट्रस्टी :–**

(1) मुख्य संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्थाओं के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देना।

(2) मुख्य संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) द्वारा ट्रस्ट के कार्यहित में किये जाने वाले निर्णय सर्वमान्य होंगे।

(3) ट्रस्ट के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

(4) किसी भी विचारणीय विषय पर समानगत होने पर एक निर्णायक मत देना।

3239

3–2–12 32306

(सन्त कुमार गुप्ता)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 476192

वरिष्ठ कोषाधिकारी
दिनांक
17 JAN 2012
गाजीपुर

(5)

(5) आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

(6) ट्रस्ट के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण देना।

(7) ट्रस्ट के वाह्य एवं अन्तर्गत नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट के विकास के लिए तमाम संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट के अन्य सदस्य ट्रस्टीयों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

(8) मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिए भूमि, भवन का क्रय लीज (पट्टा) करना एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना।

(9) ट्रस्ट में सभी सदस्य ट्रस्टीयों की सर्व सम्मति के आधार पर नये सदस्यों को सदस्य बनाने, निष्कासन करने एवं पदोन्नति आदि का अधिकार मुख्य संरक्षक ट्रस्टी होगा।

(10) ट्रस्ट के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनायें प्रस्तुत करना, तथा ट्रस्ट के हित में समस्त प्रकार के कार्यों का संपादन करना।

(11) अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार ट्रस्ट के लिए लाभदायक है।

(B) <u>सदस्य ट्रस्टी :–</u>

(1) मुख्य संरक्षक ट्रस्टी के अनुपस्थिति में उनके निर्देश के अनुसार उनके कार्य का संपादन अपने हस्ताक्षर से करेगा। तथा मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

(2) बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

(3) ट्रस्ट के उन्नति के लिए निर्देश देना।

(4) नये सदस्यों के लिए रसीद जारी करना।

(5) ट्रस्ट में नये सदस्यों को मुख्य सरंक्षक ट्रस्टी की अनुमति से सदस्य बनाना।

(6) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

3-2-12

स्टाम्प विक्रेता (सन्त कुमार गुप्ता)